FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चि[illegible] मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-[illegible]

पन्नालाल वनाम भूमिधारी किस्म मुकदमा

नं. प्रा० पत्र 136 LRAct 33/2025 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/25	प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र सिंह चूण्डावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया । बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । विपक्षी को प्रार्थना पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 4/10/25 को पेश हो । 26/09/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला	
4/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इंतजार जवाब में रहे पत्रावली दिनांक 31.10.25 को पेश हो। 4/10/25	
31/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थी श्री पन्नालाल [illegible] निवासी बड़ा[illegible] जिला उदयपुर की [illegible] सिंह चूण्डावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन 31/10/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किया गया कि ग्राम गाडरियावास पटवार मण्डल मीरखन के खाता संख्या 2-89 में वर्णित आराजी नम्बर 992/1 रकबा 0.1138 एवं आराजी नम्बर 994/1 रकबा 0.1390 है भूमि प्रार्थी की खातेदारी की स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 992/1 को भूमि को राजस्वकर्मी द्वारा राजस्व नक्शा में तालाब दर्शाया गया है जो कि गलत है। उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 992/1 पर कभी भी तालाब नहीं था, तथा इस आराजी के आसपास में तालाब अवस्थित नहीं है। इसलिए उक्त आराजी के राजस्व नक्शा से तालाब का चिन्ह हटाया जाकर राजस्व नक्शा को शुद्ध किया जाने का आदेश किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/708 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर 992/1 रकबा 0.1138 खातेदार पन्नालाल पिता रामलाल मेघवाल सा॰ बडाराजपुरा तहसील कानोड़ जिला उदयपुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2070-73 के उक्त आराजी की किस्म पड़त I बता रखा है जबकि राजस्व नक्शा में उक्त आराजी को पाल के रूप में दर्शाया गया है। मौका निरीक्षण करने पर भी पाया गया कि उक्त आराजी की भूमि पर तालाब या पाल मौके पर नहीं है न कोई निशान या अवशेष मौके पर है। मौका अनुसार आराजी की भूमि पड़त है किसी भी प्रकार का जलभराव का क्षेत्र या पाल का क्षेत्र नहीं है। राजस्व नक्शा में आराजी नम्बर 992/1 रकबा 0.1138 है किस्म पड़त I की भूमि मे वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्शाये गये तालाब/पाल की भूमि का निशानात को हटाया जाने की अनुशंसा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए प्रार्थना पत्र का एवं पत्रावली का व तहसीलदार डूंगला [illegible] की गई रिपोर्ट का [illegible] परीक्षण उपरान्त [illegible] पत्र, अन्तर्गत धारा 136 एल॰ आर॰ एक्ट का प्रावधानानुसार पाया जाने से [illegible]कार किया जाना न्यायसंगत है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल॰ आर॰ एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner